डीजी–परिपत्र संख्या– 30 / 2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः सितम्बर ,2020

विषयः–महिलाओं विशेषकर बच्चियों के साथ घटित होने वाले छेड़खानी के अपराधों की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि कतिपय जनपदों में छेड़खानी की घटनाओं के उपरान्त हत्या जैसी जघन्य घटनायें घटित हुयी हैं। भारतीय संस्कृति एवं शिष्टाचार के अनुरूप महिलाओं एवं बच्चियों के सम्मान के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि छेड़खानी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये। इस प्रकार की घटनायें घटित होने पर जहॉ एक ओर महिला वर्ग असुरक्षित महसूस करता है वहीं दूसरी ओर समाज में पुलिस के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न होता है।

आप सहमत होगें कि महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले छेड़खानी जैसे अपराध अत्यन्त निन्दनीय है इन घटनाओं से जनसामान्य में पुलिस की गरिमा एवं छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले इस प्रकार के अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए अपने अपने जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार कराकर इस प्रकार की कार्यवाही कराये, जिससे जन्नपद के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपके मार्गदर्शन एवं सुझाव हेतु निम्नांकित बिन्दु अनुपालनार्थ सुझाये जा रहे हैंः–

- **महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करना**
  - सर्वप्रथम महिलाओं/बच्चियों के साथ घटित होने वाले इस प्रकार के अपराधों का तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाये।
  - यदि पीड़िता को किसी प्रकार की चोट इत्यादि पहुचाई गयी है तो उसे तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जाये।
  - प्राथमिकी में नामित सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्पूर्ण प्रयास किये जायें ताकि पीड़िता के परिवार के सदस्यों में विश्वास पैदा किया जा सके।
  - प्रकरण में निष्पक्षता से विवेचनात्मक कार्यवाही की जाये। विवेचना की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता न किया जाये और विवचेनात्मक कार्यवाही समय से पूर्ण करायी जाये।
  - इस प्रकार के अपराधों का पंजीकरण न होने की स्थिति में सम्बन्धित थाना प्रभारी तथा सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
- **एण्टी रोमियों स्क्वायड की कार्यवाहीः–**
  - महिलाओं/बच्चियों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु गठित एण्टी रोमियों स्क्वायड द्वारा वर्तमान में अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही है। इसके लिए आवश्यक है कि एण्टी रोमियों स्क्वायड द्वारा अनवरत अभियान चलाया जाये।
  - वर्तमान में जनपदों में महिला पुलिस कर्मियों की काफी संख्या में उपलब्धता है। विशेष रूप से इन्हें इस स्क्वायड में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु लगाया जाये।

Scanned by CamScanner

- इस प्रकार के निरन्तर अभियान चलाने से जनपदों में शोहदों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की घटनाओं में कमी आयेगी और महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना भी सुदृढ़ होगी।

➢ संवेदनशील स्थानों/हॉटस्पाट पर सादे वस्त्रों में चेकिंगः–

- पुलिस कर्मियों द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ सादे वस्त्रों में संवेदनशील स्थानों पर निरन्तर गस्त की जाये।
- महिलाओं/बच्चियों के साथ शोहदों एवं अराजक तत्वों द्वारा छेड़खानी करने पर तत्काल पकड़ा जाये एंव उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाये।

➢ सार्वजनिक स्थानों पर सादे वस्त्रों में चेकिंगः–

- जनपद में सार्वजनिक स्थानों "स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टैण्ड" जहॉ महिलाओं/बच्चियों का आवागमन नियमित एवं निरन्तर होता है, की सतत निगरानी सुनिश्चित करायी जाये।
- इन स्थानों पर निगरानी सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों "जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी समुचित रूप से सम्मिलित हो" द्वारा की जाये ताकि आवंछनीय एवं आपत्तिजनक गतिविधियॉ करने वाले व्यक्तियों को उसी समय चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
- इस प्रकार की तत्परतापूर्ण कार्यवाही से जहॉ जनसामान्य में पुलिस के प्रति विश्वास सुदृढ होगा वहीं अपराधियों में भी ऐसी कार्यवाही से कानून का भय व्याप्त होगा।
- जनपद में उपलब्ध बॉडी वार्न कैमरों का प्रयोग इस कार्य में किया जाना उपयोगी होगा जिससे मौके पर ही अपचारियों के विरूद्ध सुसंगत साक्ष्य संकलित किया जा सके एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा पुलिस टीम पर दुर्व्यवहार के आरोप भी न लगाए जा सकें।

➢ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाया जानाः–

- जनपद में सार्वजनिक स्थानों स्कूल, कॉलेज, मॉल, वित्तीय संस्थानों के प्रबन्धकों से वार्ता कर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी व्यवस्था की जाये।
- इस प्रकार के चिन्हित स्थानों पर उपरोक्त निगरानी/चेंकिग पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ समय स्थान बदल–बदल कर पैदल गस्त करना भी सुनिश्चित करें एवं अपनी टीम में महिला पुलिस कर्मियों के माध्यम से ऐसे स्थानों पर आने वाली महिलाओं एवं बच्चियों से वार्ता कर उनके अन्दर विश्वास का भाव संचारित करायें।

➢ महिला विद्यालयों में शिकायत पेटिका लगाया जानाः–

- पुलिस द्वारा महिला विद्यालयों में शिकायत पेटिका की व्यवस्था करायी जाये, ताकि यदि कोई छात्राओं को परेशान करे तो वह अपनी शिकायत गोपनीय रूप से शिकायत पेटिका में डाल सके।
- शिकायत पेटिकाओं का सप्ताह में 02 दिवस थाने के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा महिला पुलिस कर्मियों के साथ चेक किया जाये तथा प्राप्त शिकायतों पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जायें। इसका पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

➢ बालिका विद्यालय/कॉलेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों से नियमित संवादः–

- थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में स्थिति बालिका/महिला विद्यालय एवं कॉलेजों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यो/अध्यापकों से नियमित सम्पर्क करें तथा यदि किसी प्रकार की अवांछनीय तत्वों के आने जाने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करायें।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

- समय–समय पर उनके साथ **गोष्ठी कर** संवाद स्थापित करें तथा उनसे शोहदों/मनचालों के बारे में जानकारी संकलित कर कार्यवाही करायें।

➢ **स्कूल/कॉलेजों के कक्षा प्रारम्भ एवं छूटने के समय पुलिस की उपस्थितिः–**

- जनपदों में विभिन्न प्रकार महिला स्कूल/कॉलेजों तथा कोचिंग सस्थानों के खुलने एवं बन्द होने के समय पुलिस (महिला पुलिस कर्मी सहित) सादे वस्त्रों पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहेंगें।
- इन स्थानों के आस–पास अनावश्यक रूप से खड़ें लड़कों/शोहदों से पूछताछ की जाये। इस कार्य में विशेष रूप से जनपदों में गठित एण्टी रोमियों स्वायड को सम्मिलित किया जाये।

➢ **शहर के बाहरी इलाकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थिति एवं कम भीड़ वाले अथवा निर्जन स्थान में स्थिति महिला/बालिका विद्यालय/महाविद्यालय की आकस्मिक चेकिंगः–**

- जनपद की भौगौलिक परिस्थिति का आंकलन कर महिलाओं के विद्यालय/हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों एवं धार्मिक स्थालों की ओर जाने वाले ऐसे मार्गो को चिन्हित करें जो या तो कम भीड़ वाले हैं अथवा निर्जन स्थान पर स्थिति हैं।
- ऐसे स्थानो पर नियमित गस्त की व्यवस्था विशेषकर विद्यालयो एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं के प्रारम्भ एवं छुट्टी के समय सुनिश्चित करायी जाये।
- शहर के बाहरी इलाकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थिति महिला/बालिका विद्यालय/महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों को एण्टी रोमियों स्क्वायड के कार्यक्षेत्र में अवश्य रखा जाये तथा टीम के सदस्यों को बदल–बदल कर लगाया जाये।
- यूपी डायल–112 के पीआरवी वाहन की भी लोकेशन, ऐसे मार्गो पर अवश्य रखा जाये।

➢ **रात्रि के समय महिलाओं के लिए डायल 112 में सचालित सुरक्षा कवच योजनाः–**

- रात्रि में महिलाओं की सुरक्षा हेतु डायल 112 द्वारा महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान पर पहुचाने एवं उनको स्कोर्ट कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु पूर्व में निर्देश दिये हैं उनका अनुपालन कराया जाये।
- इस प्रकार की कार्यवाही से महिलाये जहॉ अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुचेंगी वहीं किसी अप्रिय घटना को टाला जा सकेगा।

➢ **महिला/बच्चियों की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस के तंकनीकी फीचर से परिचित कराया जानाः–**

- महिला पुलिस कर्मी/अधिकारी महिला विद्यालयों की छात्राओं, महिला शिक्षिकाओं को अपने सुरक्षा के प्रति सजग रहने एवं आवश्यकता पड़ने की स्थिति में 112 डायल कर पुलिस की सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में जागरूक करें।
- महिला कॉलेजों, विद्यालयों, महाविद्यालयों की छात्राओं को अपने विरूद्ध हो रहे अपराधों एवं उत्पीड़न की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी प्रेरित किया जाये और उन्हें यह आश्वस्त किया जाये कि उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा और उनके द्वारा दी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
- महिला सम्बन्धी समस्याओं जैसे छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि आपतकालीन परिस्थिति में उनकी मदद हेतु डायल 112 के फोन व अन्य माध्यमों जैसे टिविटर, फेसबुक, वाट्सएप से तत्काल वाछित सेवा का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाये।

➢ **मार्निंग वॉक के दौरान पुलिस पैट्रोलिंगः–**

- जनपदों में उन पार्को तथा वहॉ आवागमन के रास्तों को चिन्हित कर लें जहॉ प्रातः काल में अधिक संख्या में महिलायें/बच्चियॉ भ्रमण करती हो के स्थानों पर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

छेड़खानी जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रातः काल इन स्थानो पर मोटर साइकिल मोबाइल टीम द्वारा गस्त किया जाये।

- मंदिरों एवं धार्मिक स्थानो पर भी मोटर साइकिल मोबाइल टीम द्वारा गस्त करायी जाये।
- छेड़खानी की घटनायें प्रायः मोटर साइकिल सवार युवा लड़के करते है अतः इन घटनाओं को रोकने के लिए मोटर साइकिल से मोबाइल टीम लगाया जाना अत्यन्त महत्वूपूर्ण है ताकि घटना होने पर तत्काल अपराधियों का पीछा किया जा सके।

➢ सुरक्षित सार्वजनिक सड़क यातायातः–

- सार्वजनिक यातायात के साधनों यथा बस, ऑटो, टैक्सी प्रयोग समाज के सभी वर्गो द्वारा किया जाता है जिसमें महिलायें भी सम्मिलित हैं। वर्तमान में ओला, उबर सरीखे कम्पनियॉ जो मोबाइल बेस्ड है का प्रयोग तेजी से हो रहा है इन यातायात के साधनों में महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित रखने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे वाहनों के चालकों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन पूरी गम्भीरता से कराया जाये।
- यदि ऐसे किसी भी चालक के विरूद्ध महिला अपराध सम्बन्धी कोई अभियोग या शिकायत पंजीकृत है तो ऐसे व्यक्ति को सेवा में कदापि न रहने दिया जाये उक्त के अतिरिक्त ऐसे वाहन स्वामियों अथवा कम्पनियों को तत्काल सूचित कर उन्हें इस सेवा से हटवाया जाये।
- ऐसे यातायात के साधनों में सफर कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित यात्रा हेतु जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाये।

➢ प्रदेश के थानों पर महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था एवं महिलाओं की सजगता हेतु महिला संतरी की नियुक्तिः–

- जनपद के प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाये ताकि थाने पर अपनी शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ महिला पुलिस कर्मी सुन सके व उनका निस्तारण किया जा सके।
- थाने पर आने वाली इस प्रकार की पीड़िता का पूरा ब्योरा गोपनीय रखा जायेगा एवं उनकी शिकायतों का तत्परता से निस्तारण किया जायेगा। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जायेगा।
- महिला डेस्क की समस्त कार्यवाही का नियमित रूप से थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- प्रत्येक थाने पर प्रातः 09 बजे से सायं 06 बजे के मध्य महिला संतरी की व्यवस्था की जाये ताकि थाने पर महिला सम्बन्धी घटनाओं की सूचना लेकर आने वाली महिलाओं को अपनी बात सुगमता से बताने में सुविधा हो सके।
- महिला संतरी द्वारा थाने पर आने वाली पीड़ित महिलाओं के साथ सद्व्यवहार किया जायेगा तथा उनके द्वारा इस प्रकार की महिलाओं को समुचित स्थान पर भेजने की पूरी कार्यवाही की जायेगी।

➢ प्रदेश के जनपदों में महिलाओं सहायता केन्द्र की व्यवस्थाः–

- जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में महिला सहायता के केन्द्र की व्यवस्था की जाये। जनपद के थानो पर यदि पीड़िताओं की शिकायतों का निस्तारण न किये जाने की स्थिति में तत्काल पीड़िताओं की शिकायतों का निस्तारण महिला सहायता केन्द्र द्वारा कराया जायेगा।
- थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर पीड़ित महिला/बच्चियों की शिकायतों का समुचित निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही भी किया जाये।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

उपरोक्त बिन्दु आपके मार्गदशर्न एवं अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे है और इसके अतिरिक्त भी अनेक परिस्थितियॉ भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्पन्न हो सकती है जिसके निराकरण हेतु आपके सक्रिय सहयोग एवं प्रयास की आवश्यकता होगी।

मै चाहूगा कि उपरोक्त बिन्दुओं का आप स्वंय गम्भीरता से अध्ययन कर ले। एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दे तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दे कि वह अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा शिथिलता न बरते, तथा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल–112 उ0प्र0।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner